झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

द्वादश-सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक :- 28 अग्रहायण, 1935 {श0} / 19 दिसम्बर, 2013 {ई0} को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क0सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
196.	जा-18	श्री अकिल अख्तर	पावर पलान्ट लगाना।	ऊर्जा	07.12.13
197.	ज-10	श्री लक्ष्मण गिलुवा	जैनासाई डैम के लिकेज को ठीक कराना।	जल संसाधन	09.12.13
198.	जा-16	श्री हरिकृष्ण सिंह	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	07.12.13
199.	जा-01	श्री उमाकान्त रजक	सब स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	06.12.13
200.	जा-02	श्री विनोद कुमार सिंह	आश्रित को मुआवजा।	ऊर्जा	06.12.13
201.	जा-21	श्री समरेश सिंह	सब स्टेशनों का निर्माण।	ऊर्जा	07.12.13
202.	जा-15	श्री जयप्रकाश सिंह भोक्ता	सब स्टेशनों को चालू कराना।	ऊर्जा	07.12.13
203.	जा-19	श्री माधवलाल सिंह	तेनुघाट विद्युत निगम का कार्य प्रारम्भ कराना।	ऊर्जा	07.12.13
204.	क-02	श्री विष्णु प्रसाद भैया	छात्रावास चालू कराना।	कल्याण	07.12.13
205.	ज-04	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	नहर एवं गेट का मरम्मति।	जल संसाधन	07.12.13
206.	जा-22	श्री कमलेश उराँव	गाँवो में विद्युतीकरण।	ऊर्जा	07.12.13
207.	जा-20	श्री उमाशंकर अकेला	मुआवजा का भुगतान।	ऊर्जा	07.12.13
208.	ज-03	श्री उमाशंकर अकेला	नहर बनाना।	जल संसाधन	07.12.13
209.	जा-03	श्री विनोद कुमार सिंह	विद्युत आपूर्ति बहाल करना।	ऊर्जा	06.12.13
210.	क-04	श्री लोबिन हेम्ब्रम	शिक्षकों की नियुक्ति।	कल्याण	09.12.13

कृ0पृ030....

01.	02.	03.	04.	05.	06.
211.	जा–06	श्री बइकुवार गागराई	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	06.12.13
212.	जा–24	श्रीमती सुधा चौधरी	गाँव का विद्युतीकरण	ऊर्जा	09.12.13
213.	क–03	श्री जनार्दन पासवान	मैट्रिक स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था।	कल्याण	07.12.13
214.	ज–01	श्री उमाकान्त रजक	गुवाई बराज नहर परियोजना का निर्माण।	जल संसाधन	06.12.13
215.	जा–12	श्री बन्ना गुप्ता	विद्युत उपकरण उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	07.12.13
216.	क–05	श्री लोबिन हेम्ब्रम	पोषाहार वितरण एवं मानदेय का भुगतान।	कल्याण	09.12.13
217.	ज–05	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	सिंचाई सुविधा बहाल कराना।	जल संसाधन	07.12.13
218.	क–01	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	छात्रावास का निर्माण।	कल्याण	07.12.13
219.	जा–17	श्री अकिल अख्तर	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	07.12.13
220.	जा–09	श्री अमित कुमार यादव	पावर सब स्टेशन का निर्माण	ऊर्जा	07.12.13
221.	जा–05	श्री बइकुँवार गागराई	सब स्टेशन चालू कराना।	ऊर्जा	06.12.13
222.	ज–06	श्री राजेश रंजन	गंगसागर तालाब की खुदाई।	जल संसाधन	07.12.13
223.	जा–11	श्री बन्ना गुप्ता	योजना को पूर्ण कराना।	ऊर्जा	07.12.13
224.	ज–08	श्री पौलुस सुरीन	डैम की मरम्मति।	जल संसाधन	09.12.13
225.	खा–04	श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी	नया राशन कार्ड बनवाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	07.12.13
226.	क–06	श्रीमती कुन्ती देवी	सेविका की नियुक्ति।	कल्याण	09.12.13
227.	ज–07	श्री संजय कु0 सिंह यादव	कुण्डबाँध का निर्माण।	जल संसाधन	09.12.13
228.	जा–10	श्री अमित कुमार यादव	आश्रित को नौकरी।	ऊर्जा	07.12.13
229.	ज–14	श्री सावना लकड़ा	डैम के रोड की मरम्मति।	जल संसाधन	07.12.13
230.	ज–12	श्रीमती सुधा चौधरी	बाँध का निर्माण।	जल संसाधन	09.12.13
231.	ज–02	श्री अनन्त प्रताप देव	माइक्रोलिफ्ट की व्यवस्था।	जल संसाधन	07.12.13
232.	खा–02	श्री फूलचन्द मंडल	दूकान का आवंटन कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	06.12.13
233.	जा–13	श्री विद्युत वरण महतो	विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण	ऊर्जा	07.12.13
234.	खा–03	श्री हेमलाल मुर्मू	राशन उपलब्ध कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	07.12.13
235.	ज–13	श्री कमल किशोर भगत	डहरबाटी सिंचाई योजना का कियान्वयन।	जल संसाधन	12.12.13
236.	जा–25	श्री निजामउद्दीन अंसारी	सर्किट का निर्माण।	ऊर्जा	12.12.13
237.	जा–08	श्री हेमलाल मुर्मू	ट्रांसफॉर्मर एवं पोल लगाना।	ऊर्जा	07.12.13
238.	जा–07	श्री गौरभ नारायण सिंह	पावर सब स्टेशन चालू कराना।	ऊर्जा	06.12.13
239.	जा–14	श्री अनन्त प्रताप देव	विद्युतीकरण योजना पूर्ण कराना।	ऊर्जा	07.12.13
240.	ज–09	श्री हरिकृष्ण सिंह	माइक्रोलिफ्ट का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	09.12.13

कृ0पृ030..../3

01.	02.	03.	04.	05.	06.
241.	ज–11	श्री लक्ष्मण गिलुवा	सिंचाई की सुविधा।	जल संसाधन	09.12.13
242.	खा–06	श्री विद्युत वरण महतो	कार्य को पूर्ण कराना।	जल संसाधन	07.12.13
243.	जा–23	श्री विदेश सिंह	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	07.12.13
244.	जा–04	श्री अरूप चटर्जी	विद्युत तारों को बदलना।	ऊर्जा	06.12.13
245.	खा–01	श्री फूलचन्द मंडल	अनाज की आपूर्ति।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	06.12.13

राँची,
दिनांकः–19 दिसम्बर, 2013ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्याः– 635 /वि0स0, राँची, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2013ई0।

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.13
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्याः– 635 /वि0स0, राँची, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2013ई0।

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.13
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
16.12

(196)

(श्री अकील अख्तर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या जा–18 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अकील अख्तर, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ विधान सभा क्षेत्र के बरहरवा एवं पाकुड़ प्रखण्ड अन्तर्गत पानी जमीन तथा कोयला की उपलब्धता होने के पश्चात् भी सरकार ने नया पावर प्लांट लगाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया जबकि दोनों प्रखण्डों से सटें फरक्का में एन०टी०पी०सी० पावर प्लांट एवं अम्बुजा सीमेंट के प्रतिष्ठान स्थापित है, साथ ही पैनल द्वारा अमड़ापाड़ा से कोयला पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को भेजा जाता है ;	यह बात सत्य है कि पाकुड़ एवं दुमका के गोपीकांदर एवं पाकुड़ ब्लॉक अन्तर्गत उरमापहाड़ी टोला कोल ब्लॉक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड एवं बी०एस०एम०डी०सी० को संयुक्त रूप से 62.5% तथा 37.5% के अनुपात में आवंटन किया गया है जिससे प्रस्तावित पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति करनी है। पूर्व प्रस्ताव में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चांडिल में पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था एवं उसी अनुरूप स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी, तदुपरांत जल की उपलब्धता एवं स्थल चयन की प्रक्रिया की गयी परन्तु जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने के कारण जमीन को चिन्हित नहीं किया जा सका है। ज्ञातव्य है कि चिन्हित भूमि के पार्श्व में जल की उपलब्धता अनिवार्य है। इस संदर्भ में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड लगातार प्रयासरत है एवं एम०डी०ओ० के चयन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी।
2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पाकुड़ विधान सभा अन्तर्गत नया पावर प्लांट लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर पावर प्लांट हेतु जमीन को चिन्हित किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4168 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

(197)

माननीय स०वि०स० श्री लक्ष्मण गिलुआ द्वारा दिनांक 19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ज–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड में जेना साई डैम की स्थिति जर्जर है ;	अस्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि जैनासाई डैम में लिकेज के कारण डैम की स्थिति प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है ;	बाँध के बायाँ एवं दायाँ आउटलेट गेटों से पानी का रिसाव होता है, परन्तु योजना से सिंचाई सुविधा दी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जैनासाई डैम का लिकेज का कार्य करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जेनासाई योजना के आउटलेट गेटों की मरम्मति कराकर पानी का लिकेज बन्द करने हेतु कार्य आवंटित किया जा चुका है। अगले खरीफ सिंचाई (2014–15) के पहले गेटों का मरम्मति कार्य पूर्ण कराने का कार्यक्रम है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6/ज०सं०वि०–20 ता०–10/2013 7659 /राँची, दिनांक 17-12-13 /

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–484/वि० स० दिनांक 09.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–16 की उत्तर सामग्री

198

प्रश्नकर्त्ता **श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स०वि०स०**	उत्तरदाता **प्रभारी मंत्री**
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक गारू प्रखण्ड में 2001 सेन्सस के आधार पर 74 ग्रामों में से 69 ग्राम चिरागी है। वर्तमान में कुल 03 ग्राम विद्युतीकृत है एवं अवशेष 66 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि गारू प्रखण्ड में विद्युतीकरण नहीं होने के कारण वहाँ के किसान एवं आम जनता को काफी दिक्कत हो रही है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्ड में अविलम्ब विद्युतीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	10वीं पंचवर्षीय योजना में आर0जी0जी0भी0वाई0 से किये जा रहे विद्युतीकरण के कम में गारू प्रखण्ड में RGGVY में 53 गाँवों को DPR में सम्मिलित किया गया था एवं इन सभी गाँवों में मेसर्स आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा कार्य छोड़ दिया गया है। अतएव अब पुनः इन 53 गाँवों में वर्तमान लोड एवं वांछित कार्यों का आकलन करते हुए दिनांक–31.01.2014 तक डी0पी0आर0 तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है एवं तदुपरान्त एुनर्निविदा आमंत्रित की जायेगी। इसके अतिरिक्त गारू प्रखण्ड में अवशेष बचे गॉव/टोला 10वीं पंचवर्षीय योजना अथवा अन्य किसी भी योजना की डी0पी0आर0 में सम्मिलित नहीं थे उनके लिए भी अलग से 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार डी0पी0आर0 दिनांक–31.12.13 तक समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। तदुपरान्त उक्त डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् कियान्वयन हेतु कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4156 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

सरकार के अवर सचिव

(199)

श्री उमाकान्त रजक, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–1 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री उमाकान्त रजक, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत चन्दनकियारी प्रखंड एवं चास प्रखंड विद्युत आपूर्ति में पिछड़ा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों सब–स्टेशनों के बनने से बिजली आपूर्ति में आम लोगों को फायदा होगा;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आम लोगों की सुविधा के लिए दोनों सब स्टेशन का निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चन्दनकियारी प्रखण्ड के बरमसिया में एक 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। उक्त उपकेन्द्र के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए अंचलाधिकारी, चन्दनकियारी को पत्र लिखा गया है। चास प्रखंड के चमशोबाद एवं लोहांचल में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र बनाने का प्रस्ताव था, परन्तु जमीन के अनुपलब्धता के कारण चमशोबाद के स्थान पर चीरा चास एवं लोहांचल के स्थान पर आदर्श कॉ–ऑपरेटिव में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया गया है। उक्त स्थलों पर जमीन उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी, चास को पत्र लिखा गया है। जमीन उपलब्ध होने पर शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4130 /

दिनांक 13-12-13

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13

सरकार के अवर सचिव

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–02 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गत 15 अगस्त 2012 को गिरिडीह जिला के सरिया प्रखंड में बंदरवारी में 11 के०भी० के तार गिरने से कुंती देवी की मौत हो गयी ;	दिनांक 15.08.2012 को तालाब के पास 11 के0भी0 के तार टूटकर एल0टी0 लाईन पर गिर गया परन्तु इससे श्रीमति कुन्ती देवी की मृत्यु नहीं हुई है, श्रीमति कुन्ती देवी पत्नी नागेशवर प्रसाद की मृत्यु घर में लगे विद्युत उपकरण के संचालन के दौरान हुई है। इस प्रकार जाँच में पाया गया कि श्रीमति कुन्ती देवी पत्नी नागेशवर प्रसाद की मृत्यु बोर्ड के गलती की वजह से नहीं हुई है।
2. क्या यह बात सही है कि आज तक एक वर्ष पश्चात् भी आश्रित को मुआवजा नहीं मिल पाया है ;	
3. यदि उपर्युक्त तथ्य सत्य है, तो क्या सरकार आश्रित को मुआवजा देने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अतः मुआवजा का दावा नहीं बनता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4154 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(291)

ी समरेश सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या जा–21 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री समरेश सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत चास चन्दनकियारी की बिजली व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त करने के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 2005 में तीन और वर्ष 2011 में एक कुल मिलाकर चार विद्युत सबस्टेशन निर्माण की स्वीकृति की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि चार में से एक भी सबस्टेशन का निर्माण अभी तक नहीं किये गये हैं जिससे इस क्षेत्र में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। विद्युत सब–स्टेशन नहीं बनने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन चास में विगत वर्षो में 15 एम0वी0ए0 का अतिरिक्त पावर ट्रासफरमर लगाया गया है एवं विभिन्न 11 के0वी0 फिडरों का भार के अनुरूप अधिक क्षमता का तार लगाया गया है।
3. यदि उक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु चारों सब स्टेशनों का निर्माण एक निर्धारित अवधि तक कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्रश्नान्तर्गत विषय में वर्णित 2005 में बोदरो, पिण्ड्राजोड़ा, लोहांचल एवं 2011 में चम्शोबाद में विद्युत उपकेन्द्र बनाने का प्रस्ताव थां बोदरो एवं पिण्ड्राजोड़ा में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। लोहाचंल में उपलब्ध जमीन वन विभाग द्वारा आपति के कारण आर्दश कॉ–ओपरेटिव में स्थानान्तरित किया गया है एवं जमीन उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। चम्शोबाद में जमीन उपलब्ध हुआ एवं कार्य भी प्रारम्भ किया गया परन्तु ग्रामीणों द्वारा आपति के कारण निर्माण कार्य रोकना पड़ां वर्तमान में फुदनीडीह (चीरा चास) एवं बाघगोड़ा में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को अनुरोध पत्र लिखा गया है। जिला प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध कराने संबंधी प्रकिया शुरू की गई है। जमीन उपलब्ध होते ही विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4126 / दिनांक 13-12-13

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13
सरकार के अवर सचिव

(202)

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–15 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राजीव गाँधी विद्युतीकरण के तहत चतरा के प्रत्येक गाँवों को विद्युतीकरण करना था, परन्तु विद्युत सब स्टेशनों के चालु नहीं होने से पूरे जिले वासियों को बिजली समस्या से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;	चतरा जिला के छः प्रखण्डों हेतु राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन दामोदर घाटी विद्युत निगम के द्वारा किया जा रहा है। डी०पी०आर० के अनुसार कुल 1221 ग्रामों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध अभी तक 123 ग्रामें में विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है एवं अवशेष 1098 ग्रामों का विद्युतीकरण 08 अद्द 33/11 के०वी० क्षमता के पावर सब–स्टेशन एवं 242 कि०मी० लम्बी 33 के०वी०ए० की लाईन निर्माण के कारणवश लंबित है। इन निर्माणाधीन पावर सब–स्टेशन एवं वितरण लाइनों का लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है एवं अवशेष कार्य विभिन्न वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्तावों में भारत सरकार की अनुमति अप्राप्त होने के कारणवश लंबित है। वन भूमि हस्तांतरण हेतु कुल 14 प्रस्ताव डी०भी०सी० द्वारा वन विभाग को समर्पित किये गये हैं एवं इन सभी 14 प्रस्तावों में भारत सरकार से स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्टेज–2 स्वीकृति हेतु 05 प्रस्ताव भुवनेश्वर में लंबित है एवं 01 प्रस्ताव झारखण्ड सरकार के स्तर पर 03 प्रस्ताव पी०सी०सी०एफ० कम ई०डी० के स्तर पर शेष 05 प्रस्तावों में एन०पी०वी० जमा किया जा रहा है। सभी प्रस्तावों में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लंबित कार्य भी शीघ्र सम्पादित कर दिया जायेगा।
2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सब स्टेशनों को चालू कराने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 5183 / दिनांक 18.12.13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13
सरकार के अवर सचिव

(203)

श्री माधव लाल सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–19 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री माधव लाल सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का प्रथम फेज का उत्पादन 1995 में शुरू कराया गया था ;	बोकारो जिलान्तर्गत तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का प्रथम फेज का उत्पादन 1996 में शुरू कराया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का द्वितीय फेज का काम प्रारंभ नहीं हुआ ;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 तथा 2 में वर्णित विषय के आलोक में द्वितीय फेज का कार्य नहीं होने से झारखण्ड में पर्याप्त विद्युत नहीं मिल पाती है,	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोकारो जिलान्तर्गत तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का द्वितीय फेज का कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के स्वामीत्व के संबंध में सुट संख्या 03/2004 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस सुट एवं संबंधित एस०एल०पी० –17232/08, 17235/08 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार उक्त संयत्र के विस्तारीकरण करने के क्रम में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के शेयर धारक स्वामित्व को प्रभावित नहीं होने का अंतरिम आदेश दिया गया है। अतः उक्त आदेश के आलोक में द्वितीय फेज का कार्य जिसके लिए लगभग रु० 6000 करोड का अनुमानित व्यय होगा के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4166 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

श्री विष्णु प्रसाद भैया, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.12.13 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–02 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताडा विधान–सभा के चाकरी आदिवासी छात्रावास, (पुरुष) महिला महाविद्यालय में आदिवासी छात्रावास (महिला) की स्थिति अत्यंत ही भयावह है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त आदिवासी छात्रावास बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गया है, साथ ही सारी मूलभूत सुविधाएँ (बिजली, शौचालय, पेयजल) खत्म हो चुकी है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः वित्तीय वर्ष 2011–12 में संविधान की धारा 275(1) में मद के तहत् प्रश्नगत दोनों छात्रावासों में 5–5 लाख की मरम्मती कार्य कराया गया है।महिला महाविद्यालय के छात्रावास में टूटे–फूटे पलस्तर को ठीक कराया गया है, दरवाजा खिडकी का पेन्ट, भवन का रंगाई–पोताई बचे हुए खिडकियों का शीशा बदलने का कार्य, बिजली का कार्य एवं परिसर में नया चापाकल लगाया गया है। उसी तरह चाकरी छात्रावास में भी छत जो कि जर्जर था उसका ढ़लाई कराया गया है । भवन का रंग–रोगन एवं खिड़कियाँ का पेन्ट भी कराया गया है।दोनों छात्रावासों में दो–दो तड़ित चालक का भी अधिष्ठापन करारया गया है । गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपलब्ध कराये गये आवंटनसे दोनों छात्रावासों में क्रमशः 5–5 लाख का कार्य कराया जा रहा है। जिसमें मूलरुप से शौचालय का दरवाजा, पानी की व्यवसथा , खिडकी के शीशा का बदली कराया गया है एवं शेष मरम्मति कार्य भी कराया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास की देखरेख के लिए न तो कोई शिक्षिकाएँ हैं, न ही अन्य स्टाफ जिसके कारण छात्रावास में कोई भी आदिवासी छात्र–छात्राएँ रहना नहीं चाहती हैं, फलस्वरुप सबों की पढ़ाई–लिखाई बन्द हो गई है।	उत्तर आंशिक रुप में स्वीकारात्मक है। दोनों छात्रावास 100 शैय्या वाला है और वर्तमान में दोनों छात्रावासों में 100–100 छात्र/छात्राएँ रह रहे हैं। कल्याण विभाग से छात्रावासों में शिक्षक/शिक्षिकाएँ रखने का प्रावधान नहीं है। चाकरी आदिवासी छात्रावास (पुरुष) में एक रसोईया कल्याण विभाग का कार्यरत है।

4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जामताड़ा विधान–सभा के आदिवासी छात्रावासों को पुनर्जीवित कर सारी मूलभूत सुविधाओं को पुनः स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 06 / 15–वि0स0–10 / 2013 - 2767 राँची, दिनांक 18·12·13

प्रतिलिपि : 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–300 दिनांक 07.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/13
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

205

माननीय स०वि०स० श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ज– 04 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत लतरातु डैम का निर्माण कृषकों के हित में किया गया था,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि लतरातु डैम के पुरबी भाग के नहर से सैकड़ों एकड़ जमीन का सिंचाई होता था,	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में डैम का पुरबी नहर एवं नहर का गेट क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ जमीन का सिंचाई नहीं हो रहा है तथा कृषकों को काफी हानि हो रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लतरातु डैम का पुरबी नहर एवं गेट का मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	(i) गेट की मरम्मति का कार्य कराया जा रहा है। गेट का संचालन हो रहा है। (ii) नहर के मरम्मति हेतु योजना का जीर्णोद्धार का प्राक्कलन तैयार कराया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6/ज०सं०वि०–20 ता०-04/2013 7644 /राँची, दिनांक 17-12-13 /

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–368/वि० स० दिनांक 07.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(206)

श्री कमलेश उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–22 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता **श्री कमलेश उराँव, माननीय स०वि०स०**	**उत्तरदाता** **प्रभारी मंत्री**
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के 53 गाँवों में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् विद्युतीकरण का कार्य राईट्स कंपनी द्वारा कराया जा रहा था, परन्तु इसे अधुरा ही छोड़ दिया गया ;	यह बात सही नहीं हैं । गुमला जिले के अन्तर्गत राज्य योजना के तहत 30 गाँवों के विद्युतीकरण का कार्य राईट्स कम्पनी द्वारा कराया जा रहा था। उसमें से 22 गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य छोड़ दिया गया।
2. क्या यह बात सही है कि राईट्स कंपनी द्वारा विद्युतीकरण के अधूरे काम वाले गाँव में काम को पूरा करने के लिए किसी अन्य एजेन्सी को तय नहीं किया गया, जिससे 53 गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है;	यह बात सही नहीं है। राईटस कम्पनी द्वारा छोड़े गये 22 ग्रामों में से 13 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कार्य पुनः राज्य योजना से क्रियान्वयन हेतु आंवटित किया जा चुका है तथा कार्य प्रगति पर है जिसमें की 11 गांवों में पोल गाड़ा जा चुका हे शेष 09 गाँवों का विद्युतीकरण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया में हैं।
3. यदि उक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राईट्स कंपनी द्वारा अधूरे छोड़ दिये गाँवों में विद्युतीकरण का काम पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	राईटस द्वारा छोड़े गये गाँवों का विद्युतीकरण हेतु कुछ सामान उपलब्ध है तथा कुछ सामानों की उपलब्धता प्रक्रियाधीन है, इसे मार्च 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4155 /

दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

सरकार के अवर सचिव

207

(श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या जा–20 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दिनांक–13.04.2012 थाना ईटखोरी कान्ड सं०–29/2012 जिला–चतरा के असड़ीया मोड़ पर गाड़ी संख्या–जे०एच० 02एम०–2966 सवारी गाड़ी संतुलन बिगड़ने के कारण 11,00 बोल्ट के पोल से टकरा गयी है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त दुर्धटना में ग्राम बिहारी, नई टाँड़ थाना–पदमा जिला–हजारीबाग के निवासी (1) सुरेन्द्र ठाकुर (2) राजेन्द्र ठाकुर (3) सुरेश ठाकुर (4) रीना देवी (5) कैलाश ठाकुर (6) राज कुमार मेहता ग्राम–रोमी, थाना–पदमा, जिला–हजारीबाग की घटनास्थल पर ही करंट लगने से मृत्यु हो गयी,	आंशिक स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा डेढ़–डेढ़ लाख 1,50,000/– रुपया मुआवजा की धोषणा की गयी थी,	इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मुआवजा देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	घटना पूर्णतः गाड़ी चालक की लापरवाही से घटित हुई है। जिससे विभाग के कोई पदाधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है। उक्त घटना में बोर्ड को 10,000/– (दस हजार) रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। अतः घटना के कारण मृतकों को मुआवजा के लिए बोर्ड जिम्मेवार नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4167 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

208

माननीय स०वि०स० श्री उमा शंकर अकेला द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ज०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत ईटखोरी प्रखण्ड में बने बक्सा डैम से निकली नहर की स्थित जर्जर है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि जर्जर अवस्था रहने के कारण नहर अन्तर्गत पड़ने वाले गाँव में सिंचाई नहीं हो पा रही है ;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चौपारण तट गयी नहर बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बक्सा डैम एवं नहरों का पुनर्स्थापन कार्य हेतु ERM के तहत DPR तैयार करने के लिए विभाग द्वारा सूचीबद्ध परामर्शियों से EoI आमंत्रित किया गया है। ERM कार्य हेतु DPR प्राप्त होने के उपरान्त बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6/ज०सं०वि०–20 ता०–06/2013 7633 /राँची, दिनांक 17-12-13 /

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–297/वि० स० दिनांक 07.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आंयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

209

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–03 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्ड में वर्तमान में 4 घंटे भी विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । इस प्रखण्ड में आवश्यक संचरण तंत्र के अभाव के कारणवश औसतन 4–5 घंटा विद्युत आपूर्ति हो पाती है ।
2. यदि उपरोक्त तथ्य सत्य है, तो सरकार बिरनी में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना चाहती है यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	बिरनी प्रखण्ड में नियमित समुचित मात्रा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डी0भी0सी0 के गिरिडीह स्थित ग्रीड से जमुआ तक 33 के0भी0 लाईन बनाने का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किया जा रहा है । वर्तमान में कार्य वन भूमि के हस्तांतरण हेतु लंबित अनुमति एवं रेलवे क्रासिंग हेतु रेलवे से से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध होने के कारणवश लंबित है । उक्त दोनों अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । इसके अलावे डी0भी0सी0 से 30 एम0भी0ए0 अतिरिक्त पावर लेने हेतु अनुशंसा की गयी है। लगभग 6 माह के अन्दर उपरोक्त कार्य संपादन के उपरान्त अपेक्षित विद्युत आपूर्ति हो पायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4165 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

(210)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–04 का उत्तर सामग्री

क्रमांक	प्रश्न	माननीय मंत्री कल्याण का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो प्रखंड के अनु0 ज0ज0जा0 आवा0 उ0 विद्यालय वाँझी में स्वीकृत 17 शिक्षकों के बदले मात्र 4 शिक्षक ही कार्यरत हैं, अनु0 ज0ज0जा0आवा0 बालिका मध्य विद्यालय अदरो में स्वीकृत 6 पद के विरूद्ध 4 शिक्षक ही कार्यरत हैं एवं अनु0 जनजातीय आवासीय उच्च विद्यालय 13 शिक्षकों के विरूद्ध 6 शिक्षक ही कार्यरत हैं।	आंशिक स्वीकारात्मक। अनुसूचित जन जाति आवासीय उच्च विद्यालय वाँझी में शिक्षक के 17 स्वीकृत पद के विरूद्ध 4, अनुसूचित जन जाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय अदरो में स्वीकृत बल 6 के विरूद्ध 4 शिक्षक कार्यरत है। साहेबगंज जिला के बन्दरकोला में एक अन्य अनुसूचित जन जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय है, जिसमें स्वीकृत बल 12 के विरूद्ध 8 शिक्षक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिले में स्थित इन सभी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी होने के कारण छात्रों को पठन–पाठन में काफी दिक्कत होती रहती है, जिस कारण इन विद्यालयों के छात्रों का परीक्षफल संतोषजनक नहीं रहता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2013 के माध्यमिक परीक्षफल में बन्दरकोला अनुसूचित जन जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का परीक्षफल 62.5% एवं वाँझी अनुसूचित जन जाति आवासीय उच्च विद्यालय का परीक्षफल 75% हुआ है, जिसे संतोषप्रद कहा जा सकता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य के इन सभी जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति (बाहली) करने का विचार रखती है, तो कब तक नही तो क्यों?	शिक्षक नियुक्ति नियमावली गठित कर इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। सम्प्रति नियमावली वित्त विभाग के अनुमोदन के लिए उपस्थापित है। नियमावली के स्वीकृति के उपरांत शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई संभव हो सकेगी।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–06 / 15 वि०स० –06 / 2013 2761 राँची, दिनांक: 18/12/13

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–481, दिनांक– 09.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/13
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(211)

श्री बड़कुँवार गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–06 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री बड़कुँवार गागराई, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत मंझगाँव प्रखण्ड में ग्राम–देवघर, मण्डोवाम, होरोसाई, कुकूरसूड, बड़ा बेलमा, लाधुरीसाई, कदाजैत, जुड़ीपादा, आसनपाठ, घाघीयासाई, हेदेलसाई, चक्रधरसाई गुड़गूव, गुढ़केसना, कुशनुपुर, नयागॉव, बाईपी, बरूसाई, जेटेयासाई, हेपेरबुरू, पिंगुवा साई, हलदिया, मुण्डा साई, जोसईसाई, राईसाई, सनपड़सा, सिरकासाई, डाकबंगला साई, बलियापादा, कुरूसाई, गाड़ासाई, सिलफोड़ी, बागासाई, ओण्डोसाई, सोकासाई, तुराम दमोदर साई पता साई दीघपोसी, डीपासाई, जानुमपी तरतरिया, कुलवाई, गंजायबुरू, बीसकाटा ग्राम–हेसाबेड़ा गाँव में विद्युत आपूर्ति नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गाँव में बिजली नहीं रहने के कारण जनता को काफी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त इन सभी गाँवों में विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प० सिंहभूम जिलान्तर्गत मंझगाँव प्रखंड में ग्राम–सोनापोसी, पनसपाई, तरतारिया, बड़ा बेलमा, बलियापादा, सनपारसा, नया गांव, हल्दिया, हेपेरबुरू, सिलफोडी, कुशनपुर, आसनपाठ, मानकीटोला विद्युतीकृत है। ग्राम–देवघर, मण्डोबाम, कदाजैत, जरीपादा, जानुमपी अविद्युतीकृत है, जिसे स्टेट आर0ई0, 1291 गांव योजना के तहत मार्च14 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। ग्राम–कुदाहातू, बीसकाटा, कुलबाई राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत मार्च14 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। राजस्व ग्राम के टोले– बाईपी, हेसेलकुटी, चक्रधरसाई, दीघपोसी, कुकूरसूड, दामोदासाई,

	होरोसाई, टुंगलुसाई, लागुरीसाई, घाघीयासाई, हेदेलसाई, बारूसाई, जेटेयासई, पिंगुवासाई, मुण्ठासाई, जोसईसाई, राईसाई, सिरकासाई, डाकबंगलाइसाई, कुरूसाई, गाड़ासाई बागासाई, ओण्डोसाई,सोकासाई, तुराम, पतासाई, डीपासाई, गंजायबुरू हेसाबेड़ा को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत 12वी0 पंचवर्षीय योजना की डी०पी०आर० में सम्मिलित कर विद्युतीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4162 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

सरकार के अवर सचिव

(212)

श्रीमती सुधा चौधरी, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–24 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सुधा चौधरी, माननीया स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखण्ड पाटन के ग्राम–रोल, दुरही, सोनपुरवा, बांसाबार, जोड़ा, तिलैया, चेतमा बुढ़ी, रूदीडीह हरिजन टोला एवं मुस्लिम टोला, बसदह तथा प्रखण्ड छत्तरपुर के कवल, कुरकुट्टा, सहियार, रतनाग, कसियाही लोटो, सतघरवा, कुंडौली, सहित खैरादोहर एवं डगरा पंचायत के सभी गाँव अभी बिना विद्युतीकृत है ;	पाटन प्रखण्ड के ग्राम चेतमा में बिजली है तथा 18 उपभोक्ता है। बाकी ग्रामों के लिये स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सभी गाँव सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तथा हरिजन, आदिवासी बाहुल्य है ,	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त गाँवों में विद्युतीकरण नहीं होने से ग्रामीण जनता सुविधाओं से वंचित है तथा लोगों में आक्रोश व्याप्त है ,	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपर्युक्त गाँवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं क्यों ?	पाटन प्रखण्ड के ग्राम रोल, डुरही एवं बांसाबार के विद्युतीकरण हेतु विभागीय स्तर से योजना का कार्य प्रगति पर है जो मार्च 2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है एवं शेष ग्राम जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर0जी0जी0वी0वाई0 अन्तर्गत किये जा रहे विद्युतीकरण के क्रम उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य मेसर्स आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा छोड़ दिया गया है। जिसके लिए वर्तमान लोड एवं वांछित कार्यों का आकंलन करते हुए दिनांक–31.01.2014 तक डी0पी0आर0 तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है एवं तदुपरांत पुनर्निविदा आमंत्रित की जायेगी। इसके अतिरिक्त जो गाँव/टोला 10वीं पंचवर्षीय योजना अथवा अन्य किसी भी योजना की डी0पी0आर0 में सम्मिलित नहीं थे उनके लिए भी अलग से 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार डी0पी0आर0 दिनांक–31.12.2013 तक समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। तदुपरांत उक्त डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4188 / दिनांक 18.12.13

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव

(213)

श्री जनार्दन पासवान, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–03 का उत्तर सामग्री

क्रमांक	प्रश्न	माननीय मंत्री कल्याण का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में प्राथमिक बालिका अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय वर्ग V तक कल्याण विभाग द्वारा संचालित कि जा रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में मात्र निम्नलिखित प्राथमिक बालिका अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय वर्ग V तक कल्याण विभाग द्वारा संचालित कि जा रही है:– (i) आवासीय प्राथमिक विद्यालय, लेस्लीगंज, पलामू। (ii) आवासीय प्राथमिक विद्यालय, छत्तरपुर, पलामू। (iii) आवासीय प्राथमिक विद्यालय, प्रतापपुर, चतरा। (iv) आवासीय प्राथमिक विद्यालय, सिमरिया, चतरा। (v) चतरा आवासीय प्राथमिक विद्यालय, हंटरगंज, चतरा।
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य गठन के बाद 2–4 प्रखंडों के विद्यालयों को छोड़कर किसी भी प्राथमिक आवासीय विद्यालयों को उत्क्रमित कर मैट्रिक स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसके कारण अनुसूचित जाति के अधिकांश छात्राओं को उच्च विद्यालय के अभाव में वर्ग V की पढ़ाई के उपरांत अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है।	स्वीकारात्मक। कल्याण विभाग अन्तर्गत किसी भी आवासीय प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित नहीं किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य के सभी प्राथमिक बालिका अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों को उत्क्रमित कर मैट्रिक स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों?	आवासीय प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–06/15 वि०स० –05/2013 2760 राँची, दिनांक: 18/12/13

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–363, दिनांक– 07.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/13

(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

214

माननीय स०वि०स० उमाकान्त रजक द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ज– 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिला में चास–चन्दनकियारी गुवाई बराज परियोजना किसानों के हित में बनना था, जो निर्माण के अभाव में वर्षों से लम्बित है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। गोवई बराज येाजना वर्ष 1982–83 में पूरी की गयी थी।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के निर्माण से चास, चन्दनकियारी के किसानों की जमीन में सिंचाई सुविधा बहाल होगी, जिससे किसानों में खुशहाली आयेगी,	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुवाई–बराज नहर परियोजना का निर्माण किसान हित में अविलंब करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	गोवई बराज येाजना का Extension, Renovation & Modernisation (ई०आर०एम०) का कार्य कराने हेतु डी०पी०आर० तैयार करने की कार्रवाई की गयी है। DPR के अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार के AIBP के तहत ई०आर०एम० कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6/ज०सं०वि०–20 ता०–01/2013 7628 /राँची, दिनांक 17-12-13 /

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–259/वि० स० दिनांक 06.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

215

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या जा–12 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग में ट्रांसफार्मर, विद्युत तार, विद्युत पोल, ए०बी० स्वीच, इंसुलेटर आदि सामाग्रियों के साथ–साथ मानव संसाधन का भी अभाव है। जिससे क्षेत्र का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में विद्युत आपूर्ति कार्यों के संधारण हेतु आवश्यक ट्रांसफार्मर, विद्युत तार एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जाती रही है । साथ ही बढ़ती हुई विद्युत मांग के आलोक में तथा बोर्ड के अभियंताओं एवं अन्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति के कारणवश बोर्ड का कार्य प्रभावित होता है ।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार क्षेत्र के विकास हेतु उपकरणों एवं विद्युत विभाग को मानव संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ट्रांसफार्मर, विद्युत तार, विद्युत पोल, ए०बी० स्वीच, इंसुलेटर आदि सामाग्रियों की उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में वार्षिक विकास योजना के तहत् ₹ 465.42 करोड़ का बजट स्वीकृत है। पुनः उपरोक्त सामाग्रियों की उपलब्धता को बढाने हेतु करीब ₹ 278 करोड़ का पूरक बजट का भी प्रस्ताव किया गया । वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में ट्रांसफार्मर, एसीएसार डॉग तार, एसीएसार रेबिट तार, एसीएसार बिजली तार, रेल पोल, ए०बी० स्वीच, पी०एस०सी० पोल एवं इन्सुलेटर का बोर्ड के विभिन्न भंडारों में आपूर्ति का ब्योरा एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपरोक्त सामग्रियों की क्रय हेतु किये गये निविदा की विवरणी संलग्न है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा समय–समय पर कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मानव दिवस स्वीकृत कर कार्य सम्पादन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में वर्तमान में कर्मियों के नियुक्ति नियमावली की सम्पुष्टि करायी जा रही है। सम्पुष्टि के उपरान्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4159 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

-6-

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

इंजीनियरिंग भवन, एच० इ० सी०, धुर्वा, राँची
फैक्स नं0– 2400483

पत्रांक 879 (S&P) दिनांक 11-12-13

प्रेषक,

सियावर सिंह
मुख्य अभियंता (क्रय एवं भंडार)

सेवा में,

संयुक्त सचिव–III,
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, मुख्यालय राँची ।

विषय : श्री बन्ना गुप्ता, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ज–12 के उत्तर सामग्री।

प्रसंग: आपका ज्ञापांक 7361 दिनांक 07.12.2013 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सदर्भ में वांछित प्रतिवेदन आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है जो निम्नवत है:

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग में ट्रांसफार्मर, विद्युत तार, विद्युत पोल, ए०बी० स्वीच, इंसुलेटर आदि सामाग्रियों के साथ–साथ मानव संसाधन का भी अभाव है जिससे क्षेत्र का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।	अस्वीकारात्मक ।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार क्षेत्र के विकास हेतु उपकरणों एवं विद्युत विभाग को मानव संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है यदि हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मुख्यालय स्तर पर क्रय एवं मंडार शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष –2012–13 एव 2013–14 में क्रय की गई सामाग्री का विवरण निम्नवत है–

सामाग्री का नाम	वित्तीय वर्ष – 2012–2013 में विभिन्न मंडारों में आपूर्ति की गई सामग्री की संख्या	वित्तीय वर्ष – 2013–2014 में विभिन्न मंडारों में आपूर्ति की गई सामग्री की संख्या	अभियुक्ति 2013–2014 में क्रय हेतु आमंत्रित निविदा
10 एमभीए पावर ट्रांसफार्मर,	19 अदद्	शून्य	40 अदद् क्रय हेतु निविदा आमंत्रित
5 एमभीए पावर ट्रांसफार्मर,	64 अदद	24 अदद	100 अदद् क्रय हेतु निविदा आमंत्रित
500 केभीए ट्रांसफार्मर,	11 अदद	113 अदद	116 अदद् क्रय हेतु निविदा आमंत्रित
200 केभीए ट्रांसफार्मर,	248 अदद	1006 अदद	1942 अदद् क्रय हेतु निविदा आमंत्रित

	100 केभीए ट्रांसफार्मर	717 अदद	1300 अदद	3165 अदद क्रय हेतु निविदा आमंत्रित
	63 केभीए ट्रांसफार्मर	220 अदद	499 अदद	549 अदद क्रय हेतु निविदा आमंत्रित
	25 केभीए ट्रांसफार्मर	शून्य	4425 अदद	7500 अदद का LOI निर्गत किया गया है ।
	एसीएसार उलफ (wolf) तार	263 किमी	187 किमी	
	एसीएसार डग (Dog) तार	395 किमी	306 किमी	3518 किमी क्रय हेतु निविदा आमंत्रित
	एसीएसार रेबिट (Rabbit) तार	2600 किमी	2172 किमी	7983 किमी क्रय हेतु निविदा आमंत्रित
	एसीएसार बिजल (Weasel) तार	5020 किमी	2287 किमी	7996 किमी क्रय हेतु निविदा आमंत्रित
	रेल पोल	इस वित्तीय वर्ष में यह क्षेत्रीय कार्यालय से क्रय किया जाना था ।	1900 अदद	2100 अदद क्रय हेतु प्रस्तावित
	11 केभी 400 ए0 एबी स्वीच 11 केभी 200 ए0 एबी स्वीच 11 केभी 630 ए0 एबी स्वीच	इस वित्तीय वर्ष में यह क्षेत्रीय कार्यालय से क्रय किया जाना था ।	100 सेट शून्य शून्य	374 सेट 7550 सेट 450 सेट क्रय हेतु निविदा आमंत्रित।
	33 केभी 630 ए0 एबी स्वीच 33 केभी 400 ए0 एबी स्वीच 33 केभी 800 ए0 एबी स्वीच	इस वित्तीय वर्ष में यह क्षेत्रीय कार्यालय से क्रय किया जाना था ।	50 सेट शून्य शून्य	530 सेट 374 सेट 259 सेट क्रय हेतु निविदा आमंत्रित।
	पी एस सी पोल	यह क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रय से संबंधित है ।	यह क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रय से संबंधित है ।	यह क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रय से संबंधित है ।
	इंसुलेटर	यह क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रय	यह क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रय	यह क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रय

216

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित

प्रश्न संख्या–क0–05 का उत्तर सामग्री

क्रम	अतारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड मंडरो अन्तर्गत बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र के दो दर्जन से ज्यादा सेविकाओं– सहायिकाओं को वर्ष 2013, जनवरी एवं फरवरी वर्ष 2013, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर माह यानि 10 माह से पोषाहार वितरण नहीं किया गया है :–	माह मार्च, 2013 से जुलाई, 2013 तक सेविकाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है एवं पोषाहार का वितरण किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि मंडरो प्रखण्ड के सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को वर्ष 2008 से ऐरियर (बढ़ोत्तरी राशि) नहीं मिला है :	मंडरो प्रखण्ड के सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का अतिरिक्त मानदेय का भुगतान सितम्बर 2013 तक कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार नियमित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण एवं बाकी बढ़ोतरी (ऐरियर) मानदेय राशि भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हो तो, कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स० क० /वि0स0 तारा0 प्रश्न– 383/2013 – 2383 राँची, दिनांक :18 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–479 दिनांक–09.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

(कंचन अंजली मुण्डू)

सरकार के उप सचिव।

217

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा का तारांकित प्रश्न सं0–ज0–5 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला अंतर्गत खूँटी प्रखंड के सारिदकेल, बुदुडीह, मुरहु, प्रखण्ड के माहिल पेलौल, पाण्डू, घाघरा, सारिदकेल, गानालोया बम्हनी आदि गाँवो में तजना नदी एवं बनई नदी पर लिप्ट एरिगेशन के द्वारा सिंचाई सुविधा पूर्व से उपलब्ध है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि, वर्त्तमान में ये सुविधा बन्द पड़ा हुआ है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खूँटी एवं मुरहु प्रखण्ड के उक्त गाँवो में लिप्ट एरिगेशन के द्वारा पूर्व की तरह सिंचाई सुविधा बहाल कराने का विस्तार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्थल निरीक्षणोपरांत योजना की संभाव्यता पाये जाने पर योजना के लाभ–लागत एवं क्षेत्रीय संतुलन के साथ–साथ बजटीय उपबंध के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज0स0वि0–20–ता0–03/13 7620 राँची, दिनांक– 17-12-13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–366 दिनांक 07.12.2013 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव(अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची

(218)

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.12.2013 को पुछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– क–01 का उत्तर सामग्री।

क्रमाँक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड सिमरिया और प्रखण्ड लावालौंग में विगत पाँच वर्षों से छात्रावास का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है।	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त प्रखण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अधूरे छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वस्तु स्थिति यह है कि सिमरिया प्रखण्ड अन्तर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में निर्माणाधीन 100 शैय्या छात्रावास का कार्यान्वयन एजेंसी श्री मिथिलेश मिश्र, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी थे। श्री मिश्र दिनांक– 31.08.2011 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, तत्पश्चात् कार्य बंद है। लावालौंग प्रखण्ड अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, लावालौंग के परिसर में निर्माणाधीन 100 शैय्या छात्रावास का क्रियान्वयन एजेंसी जिला अभियंता, जिला परिषद थे। जिला परिषद के सहायक अभियंता श्री ललन चौधरी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के फलस्वरूप कार्य बंद है। पुराना प्राक्कलन होने के कारण कार्य कराने में परेशानी हो रही है। उक्त योजना का वर्तमान अनुसूचित दर पर प्राक्कलन पुनरीक्षण के लिए कार्यपालक अभियंता ग्रा0वि0वि0 प्रमण्डल, चतरा को पत्र दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–06 / 15 वि०स० –04 / 2013 2734 राँची, दिनांक: 16/12/13

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–301, दिनांक– 07.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/13
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(219)

श्री अकील अख्तर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित
प्रश्न संख्या जा–17 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अकील अख्तर, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला अन्तर्गत राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के सम्वेदक को सरकार द्वारा मार्च 2012 तक कार्य पूर्ण करने का समय निर्धारित किया गया था ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि सम्वेदक एन०टी०पी०सी० ने अभी तक कार्य को पूर्ण नहीं किया है तथा सम्वेदक द्वारा ज्यादातर जगहो पर लगाए गए छोटे ट्रासफरमर खराब क्वालिटी होने के कारण या तो जल गए है या तो बन्द पड़े है;	साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में एन0टी0पी0सी0 द्वारा विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस क्रम में डी0पी0आर0 के अनुसार बी0पी0एल0 परिवारों को कनेक्शन देने के प्रावधान के आलोक में 10 अथवा 16 के0भी0ए0 के ट्रांसफार्मर पर गॉवों में अधिक लोड होने के कारणवश कुल–1769+1139=2848 ट्रांसफार्मर में से 124+62= 186 ट्रांसफार्मर जले हैं एवं अभी तक 45 ट्रांसफार्मर बदला गया है एवं 15 ट्रांसफार्मर क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त लगाये गये है।
3. क्या यह बात सही है कि कार्य की गुणवत्ता को जॉच करने हेतु सरकार ने कोई जॉच दल गठिन नही किया है ;	गॉवों में लोड के अनुपात में ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने के कारणवश ट्रांसफार्मर जलने की हुई घटनाओं के आलोक में बोर्ड द्वारा सभी ग्रामों में वास्तविक लोड आकलन करते हुये वांछित विद्युत वितरण तंत्र को अधिष्ठापन करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए परामर्शी नियुक्त किये गये हैं एवं उनके द्वारा कार्य किये जा रहे हैं।
4. क्या यह बात सही है कि पूर्व मे कराये गए सर्वे के बावजुद भी कोई महत्वपूर्ण गाँव राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना से महरूम रह गए है ;	जो गॉव गत डी0पी0आर0 में अथवा अन्य किसी योजना के डी0पी0आर0 सें अवशेष रह गये हैं उनके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार डी0पी0आर0 तैयार करने का दिनांक–लक्ष्य 31.12.2013 निर्धारित है। तदुपरान्त उक्त डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जायेगी ।
5. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशेष जॉच दल गठित कर खराब एवं बंद पड़े ट्रांसफरम3रों के गुणवक्ता की जॉच कर उसे बदलने तथा विद्युतीकरण योजना से वंचित उन गाँवों तक विद्युत पहुंचाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। मार्च 2014 तक सभी जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का लक्ष्य रखा गया है। विद्युतीकरण योजना से वंचित शेष बचे गांवों के विद्युतीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। 31 दिसम्बर 2013 तक डी0पी0आर0 तैयार कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4161 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

220

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला

तारांकित प्रश्न संख्या जा–09 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता **श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०**	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड मुख्यालय में पावर सबस्टेशन का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में पावर सब–स्टेशन नहीं होने के कारण इसके क्षेत्र के सभी गाँवों में लॉ भोल्टेज की समस्या प्रायः रहती है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में पावर सब स्टेशन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुशा प्रखंड मुख्यालय में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्तावित 12वीं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए जमीन आवंटित किया गया है। योजना स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4169 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

सरकार के अवर सचिव

221

श्री बड़कुँवार गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–05 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री बड़कुँवार गागराई, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत तांतनगर प्रखण्ड मुख्यालय में निर्मित विद्युत सब–स्टेशन को बने हुए तीन वर्ष होने के उपरांत भी चालू नहीं किया गया;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विद्युत सब–स्टेशन के चालू नहीं होने से तांतनगर प्रखंड की एक बड़ी आबादी विद्युत सुविधा से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्युत सब–स्टेशन को चालू कराकर स्थानीय निवासियों को विद्युत सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	तांतनगर विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन हो रहा है। उपकेन्द्र का 90% कार्य पूरा किया जा चुका है। उपकेन्द्र के 33 के0भी0 लाईन के कुछ अधूरे काम एवं सब–स्टेशन के कार्य को पूरा करने का काम मार्च 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4128 / दिनांक 13-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13

सरकार के अवर सचिव

श्री राजेश रंजन, स0वि0स0 तारांकित प्रश्न सं0–6 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि महागामा प्रखंड में गंगासागर तालाब अवस्थित है, जो करीब 52 बीघा का है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है उक्त तालाब वर्त्तमान में भर गया है, जिसमें पानी का संचय नहीं हो पा रहा है व किसानों को सिंचाई हेतु परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी खुदाई के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई बार विभागीय पदाधिकारियों के यहाँ पत्राचार भी किया गया है,	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार गंगासागर तालाब की खुदाई कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	योजना का प्राक्कलन तैयार करायी गयी है। क्षेत्रीय संतुलन एंव बजटीय उपबंध के आलोक में भारत सरकार की R.R.R. of water bodies योजना अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 7638 राँची, दिनांक–17-12-13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–367 दिनांक 07.12.2013 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची

(323)

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–11 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स॰वि॰स॰	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गम्हरिया से उलियाना तक 33 हजार बोल्ट का लाईन उल्फ कन्डक्टर पर दिसम्बर 2013 तक बनाया जाना था ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित योजना की शिथिल प्रगति के कारण दिसम्बर 2013 तक नहीं समाप्त की जा सकती है;	गम्हरिया से उलियान तक उक्त कार्य हेतु 169 रेल पोल की आवश्यकता थी, उनमें से 121 रेल पोल गाड़ा जा चुका है। मेरीन ड्राइव(जमशेदपुर) के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर रहने के कारण पोल गाड़ने का स्थान चिन्हित नहीं हो सका था। बाकी 48 पोल को गाड़ा नहीं जा सका था। वर्तमान में लगातार प्रयास के बाद स्थान चिन्हित करने का कार्य प्रगति पर है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार समयावधि तक करते हुए वर्णित योजना को पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कार्य प्रगति पर है एवं बचे हुए कार्य फरवरी 2014 तक पूर्ण रूप से संपादन कर लेने के लिए लक्षित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4123 / दिनांक 13-12-13

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13

सरकार के अवर सचिव

224

श्री पौलुस सुरीन, स0वि0स0 तारांकित प्रश्न सं0–ज0–8 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत बानों प्रखंड के जमताई पंचायत में 15 एकड़ जमीन पर 40 साल पूर्व वृहद डैम का निर्माण हुआ है, मरम्मति के अभाव में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिससे लगभग 5000 किसान खेती से वंचित हो रहे है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त डैम की मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो?	क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/स0ज0वि0–20/ता0–13/13 7635 राँची, दिनांक– 17-12-13

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–488 दिनांक–09.12.2013 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची

नया राशन कार्ड बनवाना ।

*225. श्री कृष्णा नन्द त्रिपाठी--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले तीन वर्षो से लोगों का नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार लगातार नया राशन कार्ड बनाने की दिशा में समय की घोषणा करते आ रही है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नया राशन कार्ड बनाना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(2) घोषणानुसार राज्य द्वारा अबतक 12,43,523 राशन कार्ड मुद्रित कराकर जिलों को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है तथा जिलों में वितरण कार्य जारी है ।

(3) राज्य में नये सिरे से राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है । प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का अंकीकरण जिला स्तर पर एन०आई०सी० की देख-रेख में किया जा रहा है । अंकीकृत आवेदनों को एन०आई०सी० मुख्यालय से राशन कार्ड मुद्रण कर्त्ता को उपलब्ध कराया जा रहा है । राशन कार्ड मुद्रणकर्त्ता द्वारा जिलों से प्राप्त अंकीकृत आवेदनों का राशन कार्ड मुद्रण कर संबंधित जिलों में उपलब्ध कराया जा रहा है । अंकीकृत आवेदनों में आवेदक का पारिवारिक रंगीन फोटो, सदस्यों के नाम, उम्र आदि साथ ही यू०आई०डी० संख्या आदि का सिडिंग किया जा रहा है । राज्य एन०आई०सी० से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 तक राशन कार्ड आवेदनों का अंकीकरण एवं राशन कार्ड मुद्रण की स्थिति निम्नप्रकार है:-

कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या-52,59,646 कुल राशन कार्ड अंकीकरण-49,66,078 कुल राशन कार्ड मुद्रण-20,78,977 कुल राशन कार्ड जिलों में उपलब्ध कराया गया-12,43,523 राशन कार्ड मुद्रण के साथ-साथ जिलों में नये राशन कार्ड उपलब्ध एवं वितरण कार्य चल रहा है ।

226

श्रीमती कुंती देवी, माननीया सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित

प्रश्न संख्या–क0–06 का उत्तर सामग्री

क्रम	अतारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत झरिया अंचल स्थित पाथरबंगला आंगनबाड़ी केन्द्र में अत्यंत पिछड़ा जाति के बाहुल्यता होने के बावजूद वहाँ सेविका की नियुक्ति नहीं की गई है तथा उक्त केन्द्र को प्रभार में चलाकर राशि का बंदरबांट किया जा रहा है :–	बाल विकास परियोजना, झरिया अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पाथरबंगला में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के क्षेत्र है। पूर्व में उक्त केन्द्र पर पिछड़ी जाति की सेविका कार्यरत थी एवं उक्त सेविका के द्वारा त्याग पत्र देने के पश्चात आम सभा के माध्यम से अनुसूचित जाति के महिला को सेविका के रूप में नामित किया गया किन्तु विवाद होने की स्थिति में तत्कालीन पदाधिकारी के द्वारा आम सभा रद्द कर दिया गया। अनुसूचित जाति वर्ग एवं पिछड़ा जाति वर्ग के बीच विवाद होने के कारण सेविका के चयन हेतु कई बार आमसभा का आयोजन किया गया परन्तु चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र में सेविका की नियुक्ति नहीं होने से वहाँ की जनता में काफी असंतोष है :	सहायिका के द्वारा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है तथा सेविका का प्रभार निकटवर्ती केन्द्र की सेविका को दिया गया है। अतः यदि किसी आंगनबाड़ी केन्द्र में सेविका का पद रिक्त है तो निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका को प्रभार देना नियमानुकुल है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार पाथर बंगला आंगनबाड़ी केन्द्र में अबादी को ध्यान में रखते हुए सेविका की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, कब तक, नही तो क्यों?	सेविका का चयन आमसभा के द्वारा किया जाता है। अतः उपायुक्त को पुनः ग्राम सभा का आयोजन कराते हुए सेविका का चयन किये जाने हेतु निर्देश भेजा गया है।

झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स० क० /वि0स0 तारा0 प्रश्न– 383/2013 – 2365 राँची, दिनांक : 17 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–480 दिनांक–09.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव।

227

श्री संजय कुमार सिंह यादव, स0वि0स0 तारांकित प्रश्न सं0–ज0–7 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल के हैदरनगर प्रखंड में ग्राम–सड़या के पास मंगलधारा मध्यम सिंचाई योजना, हुसैनाबाद प्रखंड के ग्राम–सामुडीह के पास हड़ही चेकडैम तथा ग्राम घघरा के पास कुण्ड बाँध का निर्माण नहीं कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित योजनाओं के निर्माण नहीं होने से चार हजार एकड़ भूमि सिचिंन नहीं हो रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	(1) दो योजना में DPR हेतु राशि स्वीकृत कर दी गयी है। DPR प्राप्त होने पर स्वीकृति हेतु कार्रवाई पर विचार किया जायगा। (2) कुण्ड बाँध में मामला प्राक्कलन पुनरीक्षण का है, जो विचारित किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/स0ज0वि0–20/ता0–09/13 7636 राँची, दिनांक– 17-12-13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–483 दिनांक–09.12.2013 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची

(228)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–10 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम+पो०+थाना–बरकट्ठा निवासी नेयाज खान, पिता–सराज खान की मृत्यु दिनांक–02.08.11 विद्युत करेंट से हुई थी ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त मृतक विद्युत विभाग, बरकट्ठा में दैनिक मजदूर (मिस्त्री) के रूप में कार्यरत था ;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी अबतक इनके आश्रित को मुआवजा एवं नौकरी नहीं मिली;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मृतक के आश्रित को नौकरी एवं मुआवजा देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा कार्य करने हेतु मो0 नियाज खाँ को कोई निर्देश नहीं दिया गया था एवं वे अनाधिकृत रूप में बिना बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचना दिये और बिना कोई शट डाउन लिये कतिपय उपभोक्ता से प्रेरित हुये ग्राम जमुआ लेवड़ा के डी०पी० पर चढ़ गये थे एवं इसी क्रम में डी०वी०सी० द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ होने के कारणवश विद्युत स्पर्शाघात से उनकी मृत्यु हो गयी। बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 1119, दिनांक 25.09.2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्व0 खाँ को मुआवजा एवं नौकरी स्वीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4187 / दिनांक 18.12.13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव

229

माननीय स०वि०स० सावना लकड़ा द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ज– 14 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत गेतलसूद डैम के उपर में बनी सड़क की स्थिति जर्जर एवं खस्ता हाल है जिससे आवागमन में कठिनाई होती है,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि डैम का रोड का मरम्मत नहीं हुआ है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्ष 2011–12 में बाँध के उपर सड़क की साधारण मरम्मति का कार्य कराया गया था।
3.	क्या यह बात सही है कि डैम के मेड़ में रोड बरसात में मिट्टी किचड़ से भर जाती है जिससे पैदल चलना मुश्किल हो जाती है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्षात् में भी बाँध के सड़क का उपयोग वाहनों के आवागमन हेतु किया जाता है। कच्ची सड़क होने के कारण वर्षात् में कीचड़ हो जाता है, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रोड की मरम्मत करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सरकार सड़क मरम्मति कराना चाहती है। इसके लिये राशि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त की जानी है। विद्युत बोर्ड से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में उनके पत्रांक– 113 दिनांक 07.08.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से भी राशि उपलब्ध कराने हेतु जल संसाधन विभाग के पत्रांक– 932 दिनांक 22.10.2013 के द्वारा अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक: 6/ज०सं०वि०–20 ता०– 07/2013 7643 /राँची, दिनांक 17-12-13/

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–296/वि० स० दिनांक 07.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

230

श्रीमति सुधा चौधरी, माननीया स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–ज–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है, कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखण्ड पाटन में बेलाही नदी पर कोई बांध नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त नदी पर बेटीबांध स्थान पर बांध बनाने से पाटन प्रखण्ड के सतहे, सतौआ, बलगाड़ा, महुलिया, साकनपीड़ी, तिलकुडीह, टंडवा, पाटन, सेमरी, केल्हार सहित छत्तरपुर प्रखण्ड के पाँच गाँव (चिंपो, चंपा आदि) को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी;	विस्तृत सर्वेक्षण कराकर इसके तकनीकी सम्भाव्यता की जाँच कराई जायेगी।
3. क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त बाँध के पानी को पाटन प्रखण्ड के ग्राम नगेसर के पास नहर में जोड़ देने से पंडवा प्रखण्ड के मझिगाँव, पतरा, लामी, बुचीलामी, मुरमा, नानआहर गाँव को भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी;	विस्तृत सर्वेक्षण कराकर इसके तकनीकी सम्भाव्यता की जाँच कराई जायेगी।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बेलाही नदी पर बेटीबांध के पास बांध के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यो?	उपरोक्त संभाव्यता के अनुरूप विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कराकर बाँध निर्माण के संबंध में यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 6/ज0स0वि0–20–ता० 12/13 7640 **राँची, दिनांक :–** 17-12-13

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक– 485 दिनांक– 09.12.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Node-4\TA\Vidhan Sabha 2013\Sudha chaudhari.doc

(231)

श्री अनन्त प्रताप देव, स0वि0स0 तारांकित प्रश्न सं0–ज0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है गढ़वा जिला अंतर्गत डंडई प्रखंड के डंडई पंचायत में केहुनिया नाला योजना निर्माणाधीन है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना में डंडई से सटे (अलग–बगल) गाँवों सोनेहारा, बौलिया, जरदे, करके तथा हारादाग के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि डंडई में नहर पर पुल का निर्माण करने, केहुनिया नाला पर माइक्रोलिफ्ट लगाकर शेष बचे कार्यो को पूरा कर देने से सोनेहारा, बौलिया, जरदे, करके गाँवो के किसानों की भूमि सिंचित हो पायेगी,	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त प्रश्न खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नहर पर पुल तथा माइक्रोलिफ्ट लगाकर शेष वंचित गाँवो की भूमि सिंचित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्थल निरीक्षणोपरान्त पुल, माइक्रोलिफ्ट सिंचाई योजना/लिफ्ट एरिगेशन की संभाव्यता पाए जाने पर लाभ–लागत, क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज0सं0वि0–20–ता0–02/13 7624 राँची, दिनांक–17-12-13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–298 दिनांक 07.12.2013 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13
संयुक्त सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची

दुकान का आवंटन कराना ।

*232. श्री फूलचन्द मंडल--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में 2010 के नियमानुसार महिला स्वयं सहायता सपूह को जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन हेतु अनुज्ञप्ति दिया जाना है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के तर्ज पर झारखण्ड में भी महिला स्वयं सहायता समूह के योग्य न होने की स्थिति में शिक्षित बेरोजगार युवकों को भी जन वितरण प्रणाली दुकान आवंटन हेतु अनुज्ञप्ति दिया जाना है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार झारखण्ड में शिक्षित बेरोजगार युवकों को भी जन वितरण प्रणाली दुकान आवंटन हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--

(1) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 1580, दिनांक 6 अगस्त 2009 के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति केवल बी०पी०एल० महिला स्वयं सहायता समिति को दी जानी है;

(2) वर्तमान में ऐसा प्रावधान नहीं है;

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 1580, दिनांक 6 अगस्त 2009 के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति केवल बी०पी०एल० महिला स्वयं सहायता समिति को दी जानी है ।

---

(233)

श्री विद्युत वरण महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–13 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री विद्युत वरण महतो, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया प्रखण्ड के बालीबांध में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2012–13 से लंबित है ;	वित्तीय वर्ष 2013–14 में बोर्ड द्वारा पावर सब–स्टेशन का निर्माण के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा चुकी है।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युत सब स्टेशन का निर्माण नहीं होने से उक्त क्षेत्र के हजारों परिवारों को नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में बालीबाँध में विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण हेतु बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा इसके अनुपालन में प्राक्कलन स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है एवं वित्तीय वर्ष 13–14 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4129 / दिनांक 13-12-13

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13

सरकार के अवर सचिव

उत्तर मुद्रित

राशन उपलब्ध कराना ।

*234. श्री हेमलाल मुर्मू--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 11,44,000 अतिरिक्त बी०पी०एल० (गरीबी रेखा से नीचे) निवास करने वाले परिवार को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था, परन्तु वर्तमान में यह योजना कई माह से बन्द है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में उक्त बी०पी०एल० परिवार को खाद्यानों की आपूर्ति नहीं होने के कारण लाभुक अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवार के द्वारा काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के उक्त बी०पी०एल० परिवार को राज्य सरकार के द्वारा पूर्व की तरह सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--

(1) उत्तर अस्वीकारत्मक है ।

(2) उत्तर अस्वीकारत्मक है ।

(3) राज्य के अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों के लिए केन्द्र सरकार से नियमित खाद्यान्न (चावल) का आवंटन प्राप्त नहीं होता है ।वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के माह सितम्बर 2013 से मार्च 2014 तक के लिए राज्य के अतिरिक्त परिवारों हेतु भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् चिन्हित परिवारों को 21 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

235

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–ज–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला का बहुप्रतिक्षित डहरबाटी सिंचाई योजना का DPR का निर्विदा 27 सितम्बर 2012 में निकाला जा चुका है;	स्वीकारात्मक। प्रथम बार सितम्बर 2012 में निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें किसी निविदादाता द्वारा भाग नहीं लिया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि डहरबाटी सिंचाई योजना का क्रियान्वयन में विभागीय स्तर पर विलम्ब की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। दिसम्बर 2012 में दूसरी बार निविदा आमंत्रित किया गया जिसके आलोक में Water & Power Consultancy Service (WAPCOS) (India) Limited, Gurgaon, Haryana को डी० पी० आर० तैयार करने हेतु कार्यावटंन दिनांक–29.04.2013 को किया गया है। Water & Power Consultancy Service (WAPCOS) (India) Limited, Gurgaon, Haryana द्वारा दिनांक–08.07.2013 को इसके लिये एकरारनामा किया गया है। दिसम्बर 2013 तक DPR तैयार होने की सम्भावना है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार जनहित में डहरबाटी सिंचाई योजना पर शीघ्रतिशील निविदा निस्तारण कर कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यो?	Water & Power Consultancy Service (WAPCOS) (India) Limited, Gurgaon, Haryana से उपरोक्त DPR प्राप्त होने के बाद तकनीकी संभाव्यता के आलोक में, डहरबाटी सिंचाई योजना के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 6/ज0स0वि0–20–ता० 16/13 7642 **राँची, दिनांक :–** 17-12-13

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–587 दिनांक–12.12.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Node-4\TA\Vidhan Sabha 2013\Kamal Kishor Bhagat.doc

236

श्री निजामुद्दीन अंसारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–25 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री निजामुद्दीन अंसारी, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के राजधनवार, गाँवा, तिसरी प्रखण्ड में महिने में 30 घंटा भी बिजली उपभोग्ताओं को नहीं मिलती है, जिस कारण उपभोक्ताओं में काफी रोष है ;	अस्वीकारात्मक है। डी0भी0सी0 द्वारा आपूर्ति के अनुरूप कम विद्युत आपूर्ति मिलने के कारण रोटेशन के आधार पर राजधनवार, गाँवा, तिसरी क्षेत्र को औसतन प्रतिदिन 8–10 घंटे आपूर्ति की जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों में विद्युत से संबंधित सभी आवश्यक कार्य, छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन ठप हो चुका है, एवं नियमित विद्युत के आपूर्ति किए बगैर विभाग उपभोक्ताओं से पूरी राशि वर्षों से वसूली कर रही है,	अस्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है, कि तिलैया पावर ग्रीड से कोडरमा सब–स्टेशन तक 33 MVA का एक नया सर्किट का निर्माण कार्य, निर्माणाधीन है,	तिलैया डी0वी0सी0 ग्रिड से कोडरमा सब–स्टेशन तक नया 33 के0वी0 लाईन का कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। डी0वी0सी0 ग्रिड से झुमरी तिलैया(साई) सब–स्टेशन तक नया 33 के0वी लाईन का निर्माण कार्य चल रहा है।
4. यदि उक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड (3) में वर्णित 33 MVA का नया सर्किट का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं लगभग सभी सामानों की व्यवस्था की जा चुकी है। चालू वित्तिय वर्ष में कार्य पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4186 / दिनांक 18-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव

(237)

श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–08 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सरकार के पत्रांक–120/30/80, दिनांक–08.08.2013 के आलोक में राज्य के सभी माननीय विधायकों के अनुशंसा पर तीन दिनों के अन्दर ट्रांसफर्मर लगाने और विद्युत संबंधी समस्या का निष्पादन करने का निर्देश जारी किया गया है;	स्वीकारात्मक है। सरकार के स्तर से कोई पत्रांक 120/30/80, दिनांक–08.08.2013 जारी नहीं हुआ है ।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार के पत्र के आलोक में दिनांक–27.07.2013 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बरहेट विधानसभा के अन्तर्गत गाँवों एवं बाजारों में ट्रांसफर्मर लगाने हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड एवं महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, दुमका को पत्र प्रेषित किया गया;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय मंत्री एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों को क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफरमर लगाने हेतु पत्र और रिमाइन्डर भेजने के पश्चात् भी लगभग 5 माह के अन्दर भी सरकार एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कार्य लम्बित है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित पत्रों के आलोक में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरहेट और पतना प्रखण्ड के गाँवों एवं बाजारों में विद्युत ट्रांसफर्मर, विद्युत पोल एवं विद्यत तार लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त वर्णित पत्र के आलोक में बरहेट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरहेट और पतना प्रखण्ड के गॉवों एवं बाजारों में विद्युत सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर ट्रांसफार्मर, पोल एवं तार लगाने का कार्य किया जा रहा है। पतना प्रखण्ड के बड़ा दिग्घी, बरहरवा में 63 के0भी0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, तलवरिया में 25 के0भी0ए0, रक्सी में 16 के0भी0ए0 का ट्रांसफार्मर, छोटा दिग्धी में 63 के0भी0ए0 का जले हुए ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। बरहेट प्रखण्ड में नवाब टोला में 100 के0भी0ए0 भोगनाडीह में 100 के0भी0ए0 जला हुआ ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया । पंचकटिया का ट्रांसफार्मर चालू है। ग्राम सिमलधाप, बड़ा दिग्धी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं कुम्हरिया का प्राक्कलन स्वीकृत है। कार्यादेश निर्गत हो चुका है एवं निर्माण हेतु सामानों की व्यवस्था की जा रही है। दो माह में कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4192 / दिनांक 18.12.13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13
सरकार के अवर सचिव

(238)

श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–07 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता **श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स०वि०स०**	उत्तरदाता **प्रभारी मंत्री**
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के प्रखण्ड कटकमसांडी में जे0एस0बी0 एवं डी०भी०सी० पॉवर सब स्टेशन के लिए 15 क०भी०ए० थर्ड वे का कार्य कर रहा था;	आंशिक स्वीकारात्मक हजारीबाग जिले के प्रखण्ड कटमसांडी को विद्युत आपूर्ति सिन्दुर सब स्टेशन से होना है। जे०एस०ई०बी० के सिन्दुर सब–स्टेशन को विद्युत आपूर्ति हेतु डी०भी०सी० के द्वारा तृतीय फिडर का निर्माण कार्य अक्टुबर–2013 में पूर्ण हो चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि डी0भी0सी0 का कामर्शियल क्लेयरेंस नहीं आने के कारण सभी कार्य बाधित हो गया है;	स्वीकारात्मक है। डी०भी०सी० से कमाण्ड क्षेत्र में 100 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति हेतु कार्मशियल क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है जिसमें कटकमसांडी सब–स्टेशन हेतु 5 एम०भी०ए० लोड की स्वीकृति का प्रस्ताव भी सम्मिलित है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार थर्ड वे बनाकर पॉवर सब स्टेशन चालू करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	डी०भी०सी० प्रबंधन से दिनांक–31.12.2013 तक कटकमसांडी सब–स्टेशन हेतु 5 एम0भी0ए0 लोड की स्वीकृति प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा उक्त सब–स्टेशन को डी०भी०सी० से हस्तांतरण प्राप्त करके चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4159 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

(239)

श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या जा–14 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में I.V.R.C.L. कम्पनी के द्वारा राजीव गाँधी विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है ;	स्वीकारात्मक। गढ़वा जिला में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मे0 आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा 746 गॉवों में से 489 गॉवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं अवशेष 257 गॉवों में या तो आंशिक कार्य किया गया है अथवा कोई भी कार्य नहीं किया गया है एवं माह जुलाई–2012 से संवेदक के द्वारा कार्य बन्द किया हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि मार्च 2013 तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण पूर्ण कर लेने का लक्ष्य था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है तथा पिछले दो वर्षों से विद्युतीकरण का कार्य बन्द है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	10वीं पंचवर्षीय योजना में RGGVY से किये जा रहे विद्युतीकरण के क्रम में गढ़वा जिला में 257 गॉवों का कार्य M/s IVRCL द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके लिए वर्तमान लोड एवं वांछित कार्यों का आकलन करते हुए दिनांक–31.01.2014 तक डी0पी0आर0 तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है एवं तदुपरान्त पुनर्निविदा आमंत्रित की जायेगी। इसके अतिरिक्त गढ़वा जिला में जो गॉव/टोला 10वीं पंचवर्षीय योजना अथवा अन्य किसी भी योजना की डी0पी0आर0 में सम्मिलित नहीं थे उनके लिए भी अलग से 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार डी0पी0आर0 दिनांक–31.12.2013 तक समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। तदुपरान्त उक्त डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् कियान्वयन हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1160 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

240

श्री हरिकृष्ण सिंह, स०वि०स० तारांकित प्रश्न सं०–ज०–9 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत सतबरवा प्रखंड के ग्राम रबदा नीचे टोला (फुलवरिया) परहिया टोला में स्थित माईक्रोलिफ्ट की स्थिति एकदम ही जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित माईक्रोलिफ्ट से सैकड़ो एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी जो अब तक एकदम ही नही हो पा रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब वर्णित माईक्रोलिफ्ट का जीर्णोद्वार कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यो?	क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। लाभ लागत के आकलन के पश्चात्, बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज०सं०वि०–20–ता0–14/13 7622 राँची, दिनांक– 17-12-13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–487 दिनांक–09.12.2013 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13
संयुक्त सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची

241

माननीय स०वि०स० श्री लक्ष्मण गिलुआ द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ज– 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल में ब्रहमणी, जैनासाई, विजय नहर स्थित है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि तीनों नहर से कृषि की सिंचाई व्यवस्था नहीं हो पाती है ;	अस्वीकारात्मक है। लगभग 70 प्रतिशत कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई दी जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि तीनों नहर का स्थिति अत्यंत जर्जर अवस्था में है ;	अस्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तीनों नहर का कार्य आरम्भ करवाकर ग्रामीण किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	(i) इन योजनाओं में आवश्यकतानुसार वार्षिक मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। (ii) जेनासाई जलाशय योजना के आउटलेट गेट से पानी का रिसाव होता है, जिसे ठीक करने हेतु गेटों की मरम्मति का कार्य आवंटित किया जा चुका है। यह कार्य अगले खरीफ के पहले पूर्ण करा लेने का कार्यक्रम है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6/ज०सं०वि०–20 ता०–11/2013 7632 /राँची, दिनांक 17-12-13 /

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–486/वि० स० दिनांक 09.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

242

माननीय स०वि०स०, श्री विद्युत वरण महतो, से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–खा–6 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत बहरागोड़ा अंचल में स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित माहुलडांगरी ग्राम सीमाना पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तटबंध निर्माण हेतु वर्ष 2010 में निविदा कराई गई थी,	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2009–10 में विषयक कार्य की निविदा की गई थी।
2	क्या यह बात सही है कि निविदा के बाद संवेदक ने कार्य आरंभ किया गया, किन्तु विगत दो वर्षों से यह अधुरा पड़ा है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि तटबंध कार्य अधूरा रहने के कारण इन 2 वर्षो में निरंतर मिट्टी का कटाव जारी है,	अस्वीकारात्मक। विषयक कार्य में कुल 2590 मीटर लम्बे तटबन्ध के विरूद्ध मात्र 2025 मीटर लम्बाई में तटबन्ध का निर्माण कराया जा चुका है। साथ ही तीन अदद स्टड के विरूद्ध एक अदद स्टड का निर्माण कराया गया है, जिसके फलस्वरूप नदी के किनारा में कटाव नहीं हो रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस तटबंध निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। कटाव निरोध कार्य/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु TAC के अनुशंसा के अनुरूप उक्त स्थल पर कटाव निरोध कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–6/ज०सं०वि०–20 ता०–08/13 7627 **राँची, दिनांक :–** 17-12-13

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची की ज्ञापांक–गै०स०सं०–295 दिनांक–07.12.2013 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना, योनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(243)

श्री विदेश सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–23 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री विदेश सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत प्रखंड पांकी, प्रखंड मनातू, प्रखण्ड तरहसी एवं प्रखण्ड लेस्लीगंज में राजीव गाँधी विद्युतीकरण का कार्य में कही कही तार एवं खंभे नहीं लगे है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामु जिले के प्रखण्ड पांकी, प्रखंड मनातू, प्रखण्ड तरहसी एवं प्रखण्ड लेस्लीगंज में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 392 गॉवों में से 267 गॉवों में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अवशेष 125 गॉवों में आंशिक अथवा कोई भी कार्य नहीं हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक निवास करते है,	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है, कि विद्युत के अभाव में काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है,	जिन गॉवों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है निश्चित रूप से वहॉ असुविधा हो रही है ।
4. यदि उक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त प्रखण्डों में समुचित विद्युतीकरण करा लेने का विचार रखती है?	10वीं पंचवर्षीय योजना में RGGVY से किये जा रहे विद्युतीकरण के क्रम में इन चारों प्रखण्डों में 125 गॉवों का कार्य M/s IVRCL द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके लिये वर्तमान लोड एवं वांछित कार्यों का आकलन करते हुए दिनांक–31.01.2014 तक .डी0पी0आर0 तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है एवं. तदुपरान्त पुनर्निविदा आमंत्रित की जायेगी। इसके अतिरिक्त इन चारों प्रखण्डों में जो गॉव/टोला 10वीं पंचवर्षीय योजना अथवा अन्य किसी भी योजना की डी0पी0आर0 में सम्मिलित नहीं थे उनके लिए भी अलग से 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार डी0पी0आर0 दिनांक–31.12.2013 तक समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। तदुपरान्त उक्त डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक..... 4156 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13

सरकार के अवर सचिव

(244)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–04 की उत्तर सामग्री

(244)

प्रश्नकर्त्ता श्री अरूप चटर्जी, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखंड के बैजना सब–स्टेशन के कांजीडीह फिडर (110कि०मी०) एवं कोलटू (10 कि०मी०) के 11 हजार का विद्युत तार अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है तथा दुर्धटना की सम्भावना बनी रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित जर्जर विद्युत तारों को बदलने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखंड के बैजना सब–स्टेशन के कांजीडीह फिडर एवं कोल–।। फिडर का 11 हजार लाईन का खराब/पुराना विद्युत तार बदला जाना है। कांजीडीह फिडर का निरीक्षण के उपरांत पाये गये खराब/पुराना तार (क) विद्युत सब–स्टेशन से देवियाना गेट तक 3 कि०मी० एक फेज तार (ख) देवियाना गेट से खुखा डी०पी० तक 4.5 कि०मी० एक फेज तार (ग) खुखा डी०पी० से कलियासोल की ओर प्रस्तावित ए०बी० स्वीच तक 3 कि०मी० एक फेज तार (घ) खुखा डी०पी० से गोपालगंज तक 3 कि०मी० एक फेज तार (ड.) गोपालगंज से तेतुलिया मोड़ तक 12.5 कि०मी० एक फेज तार बदलने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है। स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर अधिकांश समान विद्युत केन्द्रीय भंडार, पुटकी से निर्गत किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। माह मार्च 2014 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। कोल–।। फिडर का 11 हजार लाईन का खराब/पुराना विद्युत तार बदलने हेतु प्राक्कलन बनाया जा रहा है। माह मार्च 2014 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4127 / दिनांक 13-12-13

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13

सरकार के अवर सचिव

2115

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

विभागीय ज्ञापांक 3806, दिनांक 11.12.2013 में टंकण भूल के कारण इसे निरस्त करते हुये दिनांक 19.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा– 01 का उत्तर ।

प्रश्नकर्त्ता
श्री फुलचन्द मंडल,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री साईमन मराण्डी
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड में 2002–2007 की अनुमोदित बी०पी०एल० सूची से 13 स्कोर के आधार पर एक रू० प्रति किलो के दर से अनाज की आपूर्ति की जा रही है;	बी०पी०एल० सूची का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र के लिये ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगर विकास विभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 के सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों की संख्या 25,48,575 संसूचित है। भारत सरकार द्वारा राज्य के कुल 23,94,000 बी०पी०एल० परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन राज्य को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लक्षित बी०पी०एल० परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह खाद्यान्न (चावल) एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से आवंटन एवं वितरण किया जाता है।
2– क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार द्वारा 2010 की बी०पी०एल० सूची के सभी व्यक्तियों को एक रू० प्रति किलो की दर से अनाज की आपूर्ति की जाती है;	राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2010 में पुनर्सर्वेक्षित बी०पी०एल० परिवारों की संख्या के आधार पर भारत सरकार से राज्य को खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त नहीं होता है। भारत सरकार द्वारा राज्य के अतिरिक्त/विशेष तदर्थ रूप से प्राप्त खाद्यान्न के आधार पर राज्य के अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण किया जाता है।
3– यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार 2002–2007 की अनुमोदित सूची के शेष सभी बी०पी०एल० परिवारों को अनाज आपूर्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भारत सरकार से खाद्यान्न (चावल) का आवंटन प्राप्त होने पर अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों के लिए एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न का आवंटन एवं वितरण किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त/विशेष तदर्थ खाद्यान्न के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013–14 के माह सितम्बर 2013 से मार्च 2014 तक के लिए 21 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (चावल) का आवंटन एवं वितरण सभी जिलों को किया गया है।

ज्ञापांक :– खा०प्र0–5–10 (विधान सभा)–04/2013 3897 /राँची, दिनांक 18-12-13

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 256, वि0स0, दिनांक 06.12.2013 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ash kum-2013-14\Rakesh sir UDC\Bidhan Sabha 2013-14\New Microsoft Word Document.docx